भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2742
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

महिला किसानों के लिए सहायता

2742. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिला किसानों को वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य-वार महिला लाभार्थियों की संख्या का कोई आंकड़ा है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार, योजना दिशानिर्देशों में दी गई पात्रता और शर्तों के अनुसार, वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए महिला किसानों सहित सभी किसानों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

महिला किसानों सहित सभी किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक अंतर्गत लॉन्च किया गया था। यह कोष, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला में नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य, महिला किसानों सहित किसानों को सशक्त बनाना और रियायती दरों पर मध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर उनकी आय को बढ़ाना है। एआईएफ फसल-उपरांत प्रबंधन सुविधाओं और अन्य आवश्यक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायता करता है। एआईएफ के तहत, फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना से उधारकर्ताओं को सात वर्षों तक की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर ब्याज में 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट का लाभ मिलता है।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के अंतर्गत, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना एक पूंजी निवेश, ओपन एंडेड, मांग आधारित और क्रेडिट-लिंक्ड योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्तकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33.33% की बैक एंडेड सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% की सब्सिडी उपलब्ध है।

iii. महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य, 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है।

iv. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत, महिला किसानों सहित किसानों को नाशवान प्रकृति की बागवानी फसलों के लिए फसल उपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता उपलब्ध है जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, स्टेजिंग कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रीफर परिवहन, प्राथमिक/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स, राइपनिंग चेम्बर्स की स्थापना और एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली आदि की स्थापना शामिल है।

v. आय और रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास हेतु वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, महिला किसानों सहित कृषि और गैर-कृषि परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने, कृषि/बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जागरूकता, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर फोकस, अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं, जैसे; एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशालाएं, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, मधुमक्खी पालन उपकरण विनिर्माण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र, एपी-थेरेपी केंद्र, अच्छी गुणवत्ता वाले न्यूक्लियस स्टॉक केंद्रों का विकास, मधुमक्खी प्रजनक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बाजार समर्थन आदि तथा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना पर जोर दिया जाता है।

vi. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थानों को 1.5% ब्याज अनुदान (आईएस) के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) जिससे 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए प्रभावी दर घटकर 4% रह जाती है। संबद्ध गतिविधियों के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये है। महिला किसानों सहित सभी के लिए पहुँच बढ़ाने के लिए, बैंकों, राज्य/केंद्र सरकारों, आरबीआई, नाबार्ड आदि द्वारा आईईसी अभियानों और किसान ऋण पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। 1 जनवरी 2025 से कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा भी 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

vii. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका कार्यान्वयन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान, 2.58 करोड़ महिला किसानों को कृषि-पारिस्थितिकी और पशुधन प्रबंधन पद्धतियों में प्रशिक्षित किया गया, और 2.50 लाख कृषि/पशु सखियों को सामुदायिक विशेषज्ञ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, 503 कृषि सखियों को ड्रोन सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया, 70,021 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित किया गया, और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना के तहत 800 महिला-स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। पशुपालन विभाग ने 7,294 पशु सखियों को ए-हेल्प (पशुधन विशेषज्ञ व्यक्ति) के रूप में प्रशिक्षित किया है और मान्यता प्रदान की है।

(ख): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका कार्यान्वयन 1 दिसंबर, 2018 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य, देश भर में महिला किसानों सहित सभी भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन होता है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि प्रत्येक 4 माह में 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे अंतरित की जाती है। पीएम-किसान के तहत 19वीं किस्त से लाभान्वित महिला लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 30.06.2025 तक) **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत, योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, महिला किसानों सहित किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एटीएमए(आत्मा) योजना, जो वर्तमान में 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 740 जिलों में संचालित है, महिलाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केंद्रीय महिला कृषि संस्थान (सीआईडब्ल्यूए), भुवनेश्वर और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इन योजनाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथ-साथ कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रदर्शनियों जैसे आयोजनों के माध्यम से प्रसारित की जाती है। जागरूकता पहल के तहत, सरकार द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 39,72,412 महिला किसानों सहित 1,35,42,105 किसानों ने भाग लिया।

अनुबंध

पीएम-किसान के अंतर्गत, 19वीं किस्त के दौरान लाभान्वित महिला किसान लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 30.06.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य	महिला किसान	
		लाभार्थियों की संख्या	अंतरित राशि (करोड़ रुपये में)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,976	1.20
2.	आंध्र प्रदेश	14,31,344	307.24
3.	अरुणाचल प्रदेश	50,157	11.83
4.	असम	5,06,271	120.45
5.	बिहार	23,45,600	493.48
6.	छत्तीसगढ	5,09,072	125.53
7.	दिल्ली	1,921	0.45
8.	गोवा	888	0.19
9.	गुजरात	14,59,891	343.77
10.	हरियाणा	2,77,043	65.01
11.	हिमाचल प्रदेश	1,45,266	37.08
12.	जम्मू एवं कश्मीर	93,163	22.90
13.	झारखंड	6,66,699	266.56
14.	कर्नाटक	10,48,919	220.19
15.	केरल	12,78,723	290.32
16.	लद्दाख	3,001	0.64
17.	लक्षद्वीप	1,153	0.25
18.	मध्य प्रदेश	17,65,105	384.11
19.	महाराष्ट्र	18,45,539	409.09
20.	मणिपुर	98,871	80.59
21.	मेघालय	1,34,593	32.85
22.	मिजोरम	55,441	22.79
23.	नागालैंड	1,03,468	28.07

24.	ओडिशा	8,76,974	255.95
25.	पुदुचेरी	2,963	0.62
26.	पंजाब	10,787	2.66
27.	राजस्थान	24,18,281	597.28
28.	सिक्किम	8,303	2.09
29.	तमिलनाडु	5,07,939	112.43
30.	तेलंगाना	8,82,338	186.08
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	2,731	0.60
32.	त्रिपुरा	54,819	12.28
33.	उत्तर प्रदेश	46,34,478	1,199.72
34.	उत्तराखंड	1,43,662	33.07
35.	पश्चिम बंगाल	8,35,460	181.54
	सकल योग	**2,42,05,839**	**5,848.90**

*****